# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 9/2013(2013/00202)

1. गंगाराम पुत्र चन्द्रा रेगर निवासी भैरूगेट कोटा रोड केकड़ी

—प्रार्थी

बनाम

1. गुलाब पत्नि रामचन्द्र रेगर
2. मनभर पत्नि रूपा रेगर
3. सन्तोक पत्नि पोलू रेगर
   निवासीगण भैरूगेट रेगरान मोहल्ला केकड़ी

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री हेमन्त जैन — वकील प्रार्थी
श्री कमलेश कासोटिया — वकील अप्रार्थीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम**

**—:निर्णयः—**

दिनांक 03/01/23

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित हुये। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकडी में स्थित आराजीयात का विवरण निम्नानुसार है।

| खाता संख्या नया—पुराना | खसरा नम्बर | श्रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| 343—305 | 2468 | 1.08 | बरानी 1 |
| | किता 1 | रकबा 0.08 हैक्टर | |

उक्त आराजीयात प्रार्थी के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजीयात है जिस पर प्रार्थी काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी की आराजी खसरानम्बर 2468 में पंहूच के प्रयोजन से खसरा नम्बर 2469 रकबा 1.17 हैक्ट में से नया रास्ता खुलवाये जाने का प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार — वादग्रस्त आराजीयात में कोई रिकॉर्ड का रास्ता नही है। प्रार्थी अवैध रूप से रास्ता निकालना चाहते है और प्रार्थी ने यह वाद अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से किया है जो मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य है।

तहसीलदार केकड़ी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है—

1. प्रार्थनापत्र में वर्णित कस्बा केकड़ी की आराजी खसरा नम्बर 2468 प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थी खसरा नम्बर 2469 की दक्षिणी मेड से विगत 7—8 वर्षो से आता जाता रहा है।
3. प्रार्थी के खेत के निकटतम दूरी का खसरा नम्बर 2463 अजमेर—कोटा उच्चमार्ग निकलता है
4. प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

5. प्रार्थना पत्र में वांछित रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीक एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता नही है।
6. खसरा नम्बर 2469 की दक्षिण मेड पर 75 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौडाई यानी कुल 375 वर्ग मीटर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल बनता है। उक्त खसरा नम्बर अजमेर कोटा मार्ग पर स्थित है जिसकी डी.एल.सी दर 1646568/– रूपये प्रति हैक्ट के दोगुना से प्रस्तावित 375 वर्ग मीटर रास्ता हेतु कुल राशि 123493/– रूपये बनती है।
7. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

उपरोक्त सुनवाई पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा तथा निवेदन किया है कि प्रार्थी लगभग 7–8 वर्षो से खसरा नम्बर 2469 की दक्षिणी मेड़ से आता जाता रहा है, किन्तु खसरा नम्बर 2469 के खातादारान द्वारा झाड़िया लगाकर आवागमन बंद कर दिया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वांछित अनुसार प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु रास्ता दिलवाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मौका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम केकड़ी के खसरा नंबर 2468 पर आने जाने हेतु खसरा नंबर 2469 की दक्षिणी मेड़ मेड पर 75 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौडाई कुल 375 वर्ग मीटर जिसकी वर्तमान डी.एल.सी रेट की दो गुना से प्रतिदर राशी 123493/–(एक लाख तेईस हजार चार सौ तिरानवे) रूपये बनते है, उक्त प्रस्तावित नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकन हैं निकटतम प्रतित होता है अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

**–:आदेश:–**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी करबा केकड़ी के खसरा नंबर 2468 रकबा 1.08 हैक्टर में आने जाने के लिए आराजी खसरा नंबर 2469 की दक्षिणी मेड पर होते हुए खसरा नंबर 2468 पर आ जा रहे है जिसमे खसरा नम्बर 2469 की दक्षिणी मेड पर 75 मीटर लम्बाई एवं 5 मीटर चौडाई कुल 375 वर्ग मीटर जिसकी वर्तमान डी.एल.सी रेट की दो गुना से प्रतिदर राशी 123493/–(एक लाख तेईस हजार चार सौ तिरानवे) रूपये बनते है। अतः उक्त राशि जमा कराने पर मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से प्रस्तावित अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थीगण को जर्ये सूचना पत्र जारी कर दिलवायी जावे। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नही लिये जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर करबा केकड़ी के खसरा संख्या 2468 में आवागमन हेतु रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरगीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेस खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)